



कार्यालय नगर परिषद, खगौल

E-mail :- nagarparishadkhagaul@gmail.com

पत्रांक 670 दिनांक 20-08-23

फॉर्म-VIII- क
भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम
उपविधि संख्या-8(4)

आप के आवेदन संख्या--NPK-Bari Khagaul/Res./G+4/146/2022-23 तिथि -16.12.2022 के संदर्भ में श्रीमति/श्री Pankaj Kumar के लिए

(क.) G+4 आवासीय भवन के निर्माण

खगौल नगर परिषद बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित नगर विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के आवासीय प्लॉट नं० (सी०एस०) -1264 अंश, खाता नं०- 30, मौजा नं० - बड़ी खगौल, थाना नं०-49, तौजी नं०- 5293, मोहल्ला - बड़ी खगौल, वार्ड नं०-00 के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

- (क.) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से G+4 आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों का किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख.) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग.) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 714.53 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ.) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 19.51 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ.) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च.) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ीकरने के लिए आवेदक विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत के अधीनस्थ खगौल नगर परिषद आयोजना क्षेत्र में आवेदक द्वारा कोई भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में नहीं दी गई है।
- (छ.) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
- (ज.) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार/हक/हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ.) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बात कोई विवाद होने पर, विवाद की अवधि के दौरान योजना स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ.) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक

की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

- (ट.) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जाये, भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ठ.) Environmental Protection Act के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड.) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ढ.) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि 2014 के कंडिका-32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद खगौल, पटना।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल